भारत में महिला अधिकार एवं महिला-केंद्रित कानून

दुरुपयोग और उसके प्रभावों का समालोचनात्मक अध्ययन

[1]डॉ. मणि शंकर लाल द्विवेदी
[1]श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय

***सारांश*—भारत में महिला अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को समानता, गरिमा और सुरक्षा प्रदान करना है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज, संपत्ति अधिकार और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बनाए गए ये कानून महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**

हालाँकि, इन कानूनों के सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ कुछ मामलों में इनके दुरुपयोग की चिंताएँ भी सामने आई हैं, विशेषकर वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में। न्यायालयों के अवलोकन और विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए मामले अल्पसंख्यक हैं, फिर भी वे निर्दोष व्यक्तियों को मानसिक, सामाजिक और कानूनी प्रताड़ना का सामना करने के लिए बाध्य कर सकते हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ डालते हैं।

यह स्थिति इस बात की आवश्यकता को दर्शाती है कि महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनों के दुरुपयोग को रोका जाए। समाधान महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जाँच व्यवस्था, न्यायिक विवेक, कानूनी जागरूकता और जवाबदेही को मजबूत करने में निहित है। प्रभावी क्रियान्वयन और संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से ही महिला संरक्षण कानून अपने मूल उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।

***मुख्य शब्द*—महिला अधिकार, महिला संरक्षण कानून, लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज निषेध, वैवाहिक विवाद, कानून का दुरुपयोग, न्यायिक विवेक, विधिक सुधार, लैंगिक न्याय, सामाजिक जागरूकता**

I. परिचय

महिला अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला होते हैं, क्योंकि वे समानता, गरिमा और न्याय के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्थिति ऐतिहासिक रूप से चुनौतियों से घिरी रही है। पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को लंबे समय तक भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु अनेक विशेष कानूनों का निर्माण किया गया।

महिला-केंद्रित कानूनों का उद्देश्य न केवल अपराधों से संरक्षण प्रदान करना है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना भी है। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे मुद्दों पर बनाए गए कानूनों ने महिलाओं को कानूनी आवाज़ और संरक्षण प्रदान किया है। इन कानूनों के कारण बड़ी संख्या में महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और अन्याय के विरुद्ध न्यायालयों का सहारा लेने में सक्षम हुई हैं।

हालाँकि, समय के साथ यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को कानूनी और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दोहरे परिदृश्य—एक ओर वास्तविक पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और दूसरी ओर कानून के संभावित दुरुपयोग—ने एक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता को जन्म दिया है। अतः यह विषय न केवल महिला अधिकारों की प्रासंगिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी विश्लेषण करता है कि कानूनों का प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

II. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. भारत में महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक और विधिक अधिकारों का समग्र अध्ययन करना।
2. महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु बनाए गए महिला-केंद्रित कानूनों की प्रकृति, उद्देश्य और दायरे का विश्लेषण करना।
3. घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न तथा वैवाहिक विवादों से संबंधित कानूनों के व्यावहारिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. कुछ मामलों में महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति और उसके कारणों का अध्ययन करना।
5. कानूनों के दुरुपयोग से निर्दोष व्यक्तियों, परिवार और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
6. महिला अधिकारों और न्यायिक संतुलन के संदर्भ में न्यायालयों के दृष्टिकोण एवं महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन करना।
7. वास्तविक पीड़ित महिलाओं को प्रभावी संरक्षण प्रदान करते हुए कानूनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सुरक्षा उपायों (Safeguards) की पहचान करना।
8. महिला अधिकारों की प्रभावशीलता बढ़ाने और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु व्यावहारिक सुझाव एवं सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करना।

III. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध-अध्ययन में महिला अधिकारों, महिला संरक्षण कानूनों तथा उनके दुरुपयोग से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण करने हेतु मुख्यतः सैद्धांतिक (Doctrinal) अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य विद्यमान कानूनों, न्यायिक निर्णयों और विद्वानों के मतों के आधार पर विषय का गहन एवं समालोचनात्मक अध्ययन करना है।

1. अनुसंधान का स्वरूप

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) तथा विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है, जिसमें महिला अधिकारों की संवैधानिक एवं विधिक स्थिति तथा कानूनों के व्यावहारिक प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

2. अनुसंधान की पद्धति

Doctrinal Method: विधि-सिद्धांतों, अधिनियमों, न्यायिक निर्णयों और कानूनी दस्तावेज़ों का अध्ययन।

तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला संरक्षण कानूनों के उद्देश्य एवं उनके दुरुपयोग के बीच संतुलन का विश्लेषण।

3. डेटा के स्रोत

(क) प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):

भारतीय संविधान के प्रावधान

महिला संरक्षण से संबंधित अधिनियम

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय

(ख) द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

विधि-पुस्तकें और पाठ्य-सामग्री

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल

सरकारी रिपोर्टें, विधि आयोग की रिपोर्टें

समाचार पत्र एवं विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत

4. अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन मुख्यतः भारत में लागू महिला-केंद्रित कानूनों तथा उनसे उत्पन्न विधिक और सामाजिक प्रभावों तक सीमित है, साथ ही आवश्यकता अनुसार अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का भी संदर्भ लिया गया है।

5. अध्ययन की सीमाएँ

शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है; इसमें कोई फील्ड सर्वे या साक्षात्कार सम्मिलित नहीं है।

बदलते सामाजिक एवं कानूनी परिदृश्य के कारण कुछ आँकड़े समय के साथ परिवर्तनीय हो सकते हैं।

महिला अधिकारों का कानूनी ढाँचा

महिला अधिकारों का कानूनी ढाँचा महिलाओं को **समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा** प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत में यह ढाँचा मुख्यतः **संविधान**, **विधिक प्रावधानों**, तथा **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों** पर आधारित है।

1. संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है।

अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15 – लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति

अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर

अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (जिसमें गरिमा, सुरक्षा और निजता शामिल है)

अनुच्छेद 39(d) – समान कार्य के लिए समान वेतन

ये प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की संवैधानिक नींव को मजबूत करते हैं।

2. विधिक अधिकार

संविधान के अतिरिक्त, विभिन्न कानूनों द्वारा महिलाओं को विशेष संरक्षण और अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे—

घरेलू हिंसा से संरक्षण

यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा

वैवाहिक संबंधों में क्रूरता से संरक्षण

संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार

मातृत्व एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा

इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सुरक्षा एवं न्याय उपलब्ध कराना है।

3. आपराधिक कानून के अंतर्गत अधिकार

आपराधिक कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा से बचाने हेतु दंडात्मक उपाय प्रदान करता है। इसमें यौन अपराध, शीलभंग, उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न तथा मानव तस्करी जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

4. अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

भारत ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं का समर्थन किया है, जिनका उद्देश्य लैंगिक समानता, भेदभाव की समाप्ति और महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करना है। इन अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रभाव भारतीय न्यायिक व्याख्याओं और विधायी सुधारों में भी दिखाई देता है।

5. न्यायिक भूमिका

न्यायपालिका ने समय-समय पर महिला अधिकारों की व्यापक व्याख्या करते हुए उन्हें मानवाधिकारों के दायरे में शामिल किया है। न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

IV. महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग

महिला संरक्षण कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। किंतु व्यावहारिक स्तर पर यह भी देखा गया है कि कुछ सीमित मामलों में इन कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि कानून का दुरुपयोग उसकी मूल भावना के विरुद्ध है और इससे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

1. दुरुपयोग की अवधारणा

कानून का दुरुपयोग तब माना जाता है जब किसी विधिक प्रावधान का प्रयोग न्याय प्राप्ति के बजाय व्यक्तिगत प्रतिशोध, दबाव बनाने या अवैध लाभ के लिए किया जाए। महिला संरक्षण कानूनों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में देखने को मिलती है।

2. दुरुपयोग के प्रमुख प्रकार

झूठे या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, विशेषकर वैवाहिक विवादों में

पति के साथ-साथ बुज़ुर्ग माता-पिता और दूर के रिश्तेदारों को भी अभियुक्त बनाना

आपराधिक कार्यवाही को समझौते या धन वसूली के दबाव के रूप में प्रयोग करना

बिना पर्याप्त प्रारंभिक जाँच के तत्काल गिरफ्तारी की मांग

3. दुरुपयोग के कारण

वैवाहिक संबंधों में बढ़ती असहिष्णुता

कानूनी प्रावधानों की अपर्याप्त समझ

त्वरित राहत पाने की इच्छा

सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव

कुछ मामलों में गलत कानूनी सलाह

4. न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने कई अवसरों पर यह स्वीकार किया है कि महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग संभव है और ऐसे मामलों में सावधानी, विवेक और संतुलन आवश्यक है। न्यायालयों ने निर्देश दिए हैं कि

गिरफ्तारी से पूर्व समुचित जाँच हो

प्रत्येक मामले को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर परखा जाए

कानून का प्रयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में न होने दिया जाए

6. संतुलन की आवश्यकता

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दुरुपयोग की चर्चा का उद्देश्य महिला अधिकारों को कमजोर करना नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

वास्तविक पीड़ित महिलाओं को प्रभावी न्याय मिले

निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक कानूनी उत्पीड़न से बचाया जाए

V. दुरुपयोग के परिणाम

दुरुपयोग के सैद्धांतिक परिणाम

(i) व्यक्तिगत स्तर पर प्रभाव

सैद्धांतिक रूप से, कानून का दुरुपयोग अभियुक्त के जीवन, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अधिकार को प्रभावित करता है। आपराधिक आरोप मात्र से ही व्यक्ति सामाजिक रूप से अपराधी की तरह देखा जाने लगता है, जिससे मानसिक तनाव, सामाजिक अलगाव और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।

(ii) पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव

दुरुपयोग के कारण पारिवारिक संबंधों में स्थायी तनाव, विघटन और अविश्वास पैदा होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह सामाजिक संरचना को कमजोर करता है और वैवाहिक संस्था के प्रति नकारात्मक दृष्टि को बढ़ावा देता है।

(iii) न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव

जब कानूनों का दुरुपयोग होता है, तो न्यायालयों पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ बढ़ता है। इससे न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है और वास्तविक पीड़ितों के मामलों में न्याय मिलने में विलंब होता है, जो Justice Delayed is Justice Denied के सिद्धांत के विपरीत है।

(iv) कानून की विश्वसनीयता पर प्रभाव

निरंतर दुरुपयोग से कानून की नैतिक और सामाजिक स्वीकार्यता प्रभावित होती है। इससे यह धारणा बनती है कि कानून एक उत्पीड़न का साधन बन सकता है, जो विधिक शासन (Legal Governance) के लिए घातक है।

Case 1 — निशा शर्मा दहेज प्रकरण (2003–2012)

निशा शर्मा दहेज प्रकरण भारत में दहेज प्रताड़ना से संबंधित कानूनों के कथित दुरुपयोग का एक अत्यंत चर्चित उदाहरण माना जाता है। इस मामले में विवाह से ठीक पूर्व महिला द्वारा दहेज माँग का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर वर पक्ष तथा उसके परिजनों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ की गई।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि लगाए गए आरोप ठोस प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सके। न्यायालय ने यह पाया कि दहेज माँग से संबंधित आरोप तथ्यात्मक रूप से असत्य एवं मनगढ़ंत थे। परिणामस्वरूप, सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

यह प्रकरण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवल आरोप मात्र के आधार पर कठोर आपराधिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायसंगत नहीं है। यह मामला दहेज प्रताड़ना से संबंधित विधिक प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा न्यायिक विवेक और साक्ष्य-आधारित निर्णय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।

Case 2 — कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय: धारा 498-क के अंतर्गत दोषमुक्ति

(फौजदारी अपील संख्या 14/2004) **

इस प्रकरण में निचली अदालत द्वारा पति एवं अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था। अभियुक्तों ने उक्त निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

अपील की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अस्पष्ट, परस्पर विरोधी तथा असंगत थे। आरोपों के समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल सामान्य, अनिर्दिष्ट और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना न्यायसंगत नहीं है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि को निरस्त कर दिया और सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।
यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि आपराधिक मामलों में केवल आरोप मात्र पर्याप्त नहीं होते, बल्कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए ठोस, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य अनिवार्य हैं। यह प्रकरण न्यायपालिका द्वारा महिला संरक्षण कानूनों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

Case 3 — दिल्ली न्यायालय का निर्णय: परिवार के सभी सदस्यों को आरोपों से मुक्त किया जाना (अगस्त 2025)

इस प्रकरण में पति तथा उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज माँग, वैवाहिक क्रूरता एवं यौन अपराधों से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए थे। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिल्ली की सक्षम अदालत ने शिकायत, अभिलेखों और प्रस्तुत सामग्री का सूक्ष्म परीक्षण किया।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट तथा अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए थे और उनके समर्थन में कोई ठोस या विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि शिकायत के पीछे प्रतिशोध की भावना परिलक्षित होती है।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसे आरोपों के आधार पर अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य करना न्यायोचित नहीं होगा। फलस्वरूप, पति सहित परिवार के सभी सदस्यों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यह निर्णय इस तथ्य को रेखांकित करता है कि महिला संरक्षण कानूनों के अंतर्गत भी प्रत्येक मामले में न्यायिक सतर्कता और विवेकपूर्ण परीक्षण अनिवार्य है।

Case 3 — सोमदत्त बनाम निशा शर्मा प्रकरण बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रकरण: एक तुलनात्मक अध्ययन

सोमदत्त, कोलकाता किसी आम युवक की तरह लाखों के पैकेज पर जॉब करने की ख्वाहिशों के बीच मैं दिल्ली में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी की ओर से मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था। वहां जाने से पहले परिवार की सहमति से मैंने 2011 में अरेंज मैरिज की। मेरे पिता नहीं हैं, मां को मेरी शादी का बड़ा चाव था। मैं परिवार का इकलौता बेटा हूं। लड़की कोलकाता की थी। शादी हो गई। हम इंदिरापुरम में रहने लगे। ऑफिस नोएडा में था। कुछ हफ्ते बहुत ठीक से कटे, फिर परेशानी शुरू हुई। मेरी पत्नी अपने माता-पिता को साथ रखने या फिर कोलकाता शिफ्ट होने का दबाव बनाने लगी। मैंने कहा कि पहले अमेरिका चलते हैं। सब ठीक रहा तो बाद में इस मुद्दे को देख लेंगे।अमेरिका जाने का समय भी आ गया। वीजा तैयार था और हम दोनों का टिकट भी। 2012 के दिसंबर में जाने की तैयारी थी। लेकिन एक दिन वह अड़ गई। कहने लगी कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी और आपको भी जाने नहीं दूंगी। मुझे यह छोटी-सी प्रॉब्लम लगी। लगा कि इसे आम छोटे झगड़े की तरह ही सुलझा लेंगे, लेकिन होना कुछ और ही था। मुझे अब भी याद है 15 नवंबर 2012 का वह दिन, जब घर लौटा तो देखा वह नहीं थी। कुछ देर बाद ही इंदिरापुरम थाने से पुलिस आई और कहने लगी कि मुझ पर मेरी पत्नी ने कई आरोप लगाए हैं। मुझ पर आरोप था कि मैंने दहेज लिया और घरेलू हिंसा की है। मुझे गहरा शॉक लग गया। मेरी गिरफ्तारी हुई।जब उसने मुझे पर केस किया था, तब वह गर्भवती थी। हमारा बच्चा हुआ। उसने एसएमएस कर जानकारी दी कि बेटा हुआ है। लेकिन मुझे यह भी बताया गया कि बच्चे से मुझे तभी मिलने दिया जाएगा जब मेरा पूरा परिवार उससे माफी मांगेगा। मैं इसके लिए तैयार था, लेकिन और शर्तें आने लगीं। मैंने कहा कि अगर नहीं साथ नहीं रहना हो तो तलाक ले लो, लेकिन इस तरह का बर्ताव क्यों? लेकिन इस बीच वह कोर्ट पहुंच गई। उसने कोर्ट में दहेज लेने का मामला दायर कर दिया। मैं मानसिक रूप से टूटने लगा। 30 साल की उम्र में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अमेरिका जाने का मेरा सपना टूट चुका था। इस लफड़े में नोएडा वाली नौकरी भी छूट गई।मैं मां के पास कोलकाता लौट गया। नौकरी नहीं थी। पैसे खत्म हो गए थे। बीच में मुझे 50 दिन जेल में भी गुजारने पड़े। इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हुआ। हुगली में केस हुआ था। एक साल तक सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। मुझे न सिर्फ केस से मुक्त कर दिया गया था, बल्कि मेरे पक्ष में कोर्ट ने काफी सकारात्मक टिप्पणी भी की थी। लेकिन अभी मुझे कानूनी झंझटों से ही मुक्ति मिली थी। कई सवालों के जवाब आने अभी बाकी थे। चूंकि जिंदगी चलानी थी इसलिए मजबूर होकर मैंने कोलकोता में फोर्थ ग्रेड की एक सरकारी नौकरी कर ली, जबकि मैं इंजीनियर हूं।अब तो सब भूल चुका हूं। 2012 से 2015 के बीच मेरी हालत देखकर मेरी मां भी सदमे में आ गई थीं। इलाज के अभाव और मानसिक तनाव से उनकी जान चली गई। अंतिम समय में तो मां ने मुझे पहचानना भी छोड़ दिया था। अब मैं तन्हा हूं। अब मेरे लिए जिंदगी बस वक्त बिताने का जरिया है। कोई दोस्त नहीं बचा। सब अपनी दुनिया में हैं और मेरी कोई दुनिया नहीं है।मेरे दोस्तों की पत्नियों ने अपने पति को मुझसे दूर रहने को कहा था। मैं आत्महत्या नहीं कर सका, लेकिन ऐसा ख्याल कई बार आया। जब मैं अपने बेटे से अक्टूबर 2016 में मिला तो उसने मुझे अंकल बोला। पत्नी भी मिली। उसे मेरी हालात का पता चल चुका था। उसने मुझसे कहा कि उससे छोटी मिस्टेक हो गई थी, केस नहीं करना चाहिए था। उसकी उस छोटी-सी मिस्टेक ने मेरी जिंदगी को बड़े तरीके से तबाह कर दी थी। वह मेरे पास लौटना भी चाहती थी, नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए। लेकिन अब मेरे पास जिंदगी कहां है? अब मैं वह नहीं रहा जो खुद अपनी जिंदगी के बारे में कुछ तय कर सकता है। 35 साल की उम्र में 75 साल-सा महसूस करता हूं। शरीर से बीमार हूं और मन से परेशान। इस बीमारी का इलाज शायद उन बीते पांच बरसों में था, जो कभी लौट नहीं पाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि किसी भी महिला के साथ कोई पुरुष गलत न करे और कोई महिला भी कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर किसी की हालत मेरी जैसी न करे।

Case 4 —कानून के दुरुपयोग ने मेरे भाई की जान ले ली नितिन कुमार, एयर इंडिया में केबिन क्रू इंजार्च

2008 का साल मेरे छोटे भाई अरविंद के लिए काफी उत्साह वाला था। फिजियोथेरपी का कोर्स करने के बाद वह जल्दी ही जॉब पाने की उम्मीद में था। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक लड़की से उसकी जबरन शादी करा दी गई। बाद में धमकी दी गई कि अगर वह इस शादी को नहीं मानेगा तो उसे और हमारे परिवार

को मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। धमकी से डरकर उसने शादी को स्वीकार लिया और पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों तक शादीशुदा जिंदगी ठीक चली, लेकिन दो महीने बाद उस पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 2013 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने उसे मामले से बरी कर दिया। इस बीच कानूनी लड़ाई में उलझने के बाद अरविंद ने कानून की पढ़ाई कर ली। वह वकालत करने लगा। जब उसे घरेलू हिंसा केस में कोर्ट से राहत मिली तो उसने उस लड़की के साथ तलाक की प्रक्रिया शुरू की और 2016 में दोनों का कानूनी रूपी से तलाक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन दोनों की एक बेटी थी, उसके जन्म दिन पर अरविंद उससे मिलने गया।वहां से वह लौटा ही था कि उसकी एक्स-वाइफ ने उस पर रेप का केस कर दिया। अरविंद को थाने बुलाया गया। पुलिस ने समझौता कराने की कोशिश की और सुलहनामा भी करा दिया। कुछ दिनों बाद उसने अरविंद पर एक और रेप का केस किया। मुकदमों और बेइज्जती से अरविंद बुरी तह टूटने लगा। इसे देखते हुए हम लोगों ने उसे एक छोटी जॉब दिलवा दी, लेकिन लड़ने की उसकी क्षमता जवाब दे चुकी थी। उसने 13 दिसंबर 2017 को आत्महत्या कर ली। नोट में उसने इन बीते बरसों की पीड़ा लिखी। वह तो चला गया, हम अब भी दुखी हैं। मुझे लगता है कि अगर इन मामलों में साफ-साफ इंसाफ हुआ होता या सही तरीके से सभी की बात सुनी गई होती तो मेरे भाई की जान बच सकती थी। कानून का ऐसा दुरुपयोग किसी के हित में नहीं है।

Case 5 —बेटी देती है हौसला, झूठे केस में फंसे लोगों के साथ खड़े रहने का चेतन कनू, सीनियर साइंटिस्ट,मुंबई

मेरी शादी 1996 में हुई थी। हमारे दो बच्चे हुए। एक बेटी और बेटा। उन्हें पाकर लगा कि जिंदगी सफल हो गई और अब लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। जब 2007 में बेटी 10 साल की थी और बेटा 5 साल का तो मेरे पैरेंट्स बहुत बीमार पड़े। मैं तमिलनाडु में रहता था तो पैरेंट्स को अपने पास बुला लिया। इसके बाद मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पत्नी चाहती थी कि मैं अपने बीमार पैरेंट्स को अपने साथ ना रखूं। किसी भी बेटे के लिए यह तकलीफदेह होगा। दिक्कत यह थी कि मेरी पत्नी के पैरेंट्स भी उसे भड़काते थे। ऐसे में एक दिन अचानक वह बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। उसने पुलिस में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मेरे परिजनों और दोस्तों ने उसे समझाया और यहां तक कि पुलिस ने भी उससे सुलह को लेकर बात की। इसके बाद उसने शिकायत वापस ले ली और फिर साथ आकर रहने लगी। लेकिन तीन महीने बाद वह फिर पैरेंट्स को छोड़ने या फिर जाने की धमकी देने लगी। एक दिन वह फिर घर छोड़कर चली गई और मुझ पर दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून के तहत केस कर दिया।

हमारे बच्चों ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। बेटी इतनी समझदार हो गई थी कि वह अपनी मां को समझा रही थी कि वह गलत कर रही है। मेरे पैरेंट्स एकदम टूट गए, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत बांधे रखी। जिस दिन मुझे पुलिस अरेस्ट करने आई, उस दिन ही मैंने तय कर लिया था कि इस झूठे केस को आईना दिखाना है। करीब छह महीने पहले कोर्ट ने सारे केस खारिज कर दिए और मेरे पक्ष में फैसला दिया। मेंटनेंस का केस भी कोर्ट ने खारिज कर दिया और फैसले में साफ कहा कि महिला बिना किसी वजह के पति को छोड़कर चली गई थी। बच्चों की कस्टडी भी मुझे ही मिली। आज मेरी बेटी इंजिनियरिंग कर रही है और बेटा 10वीं में है, लेकिन करीब 10 साल कोर्ट के चक्कर काटने में मेरा पूरा बैंक बैलेंस चला गया। करीब 40 लाख की मेरी पूरी सेविंग इसकी भेंट चढ़ गई। ऑफिस से लोन भी लेना पड़ा। बच्चों को लिए जो सपने देखे थे, उस पर भी फर्क पड़ा। पैरेंट्स काफी तकलीफ में रहे। मुझे अब भी इस बात का दुख है कि मेरी मां यह देखने के लिए नहीं बची कि झूठा केस खत्म हो गया है। वह अपने सीने में दर्द के साथ ही दुनिया छोड़ गई। हालांकि पिताजी इस सुकून के साथ दुनिया से विदा हुए कि केस खत्म हो गया है। मेरे बच्चे मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं जब भी इस तरह की मीटिंग में जाता हूं, जहां 498ए केस में झूठे फंसे लोग इकट्ठे होते हैं तो मेरी बेटी मुझे और हौसला देती है। वह कहती है, 'पापा हमारे लिए वक्त कम भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग झूठे केस का दर्द झेल रहे हैं, उनकी मदद जरूर करना।'

Case 6 —झूठे केस का दर्द सहता रहा मैं रोहन (बदला हुआ नाम)

शादी के 10 साल तक सबकुछ नॉर्मल चल रहा था। हम अपने दोनों बच्चों के साथ बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन पत्नी बहुत ही मामूली-से झगड़े की वजह से दोनों बच्चों को लेकर चली गई। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद उसने मुझसे बात तक नहीं की। चार महीने बाद मुझे उसकी ओर से मेंटनेंस का नोटिस मिला। जब मैंने इस नोटिस के खिलाफ तर्क दिया कि पत्नी बिना वजह घर छोड़कर गई है, उसे वापस आना चाहिए तो उसने मुझ पर 498ए का केस भी कर दिया। मैं और मेरे पूरे परिवार ने बहुत ही तनाव में दो साल गुजारे। हम हर डेट पर कोर्ट जाते रहे, लेकिन वह अक्सर गायब हो जाती थी ताकि केस लंबा चले। हम सामाजिक दबाव भी झेल रहे थे। लोग हमें इस नजर से देखने लगे थे कि हम अपने ही घर की महिला पर अत्याचार करते हैं, जबकि हकीकत में हम एक झूठे केस का शिकार बने थे। दो साल बाद जब इस केस में गवाही हुई तो दो घंटे की जिरह में ही कोर्ट ने केस खत्म कर दिया और मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। मुझे इन दो बरसों में बच्चों से नहीं मिलने दिया गया और बच्चों के मन में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। वह दो साल जिंदगी के बेहद तनाव भरे थे। किसी महिला के साथ गलत करना बुरा है, लेकिन अगर महिला ही झूठे केस में फंसाए तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दो साल में कई बार तो मुझे खुदकुशी करने का विचार आया, लेकिन परिवार ने मुझे बचा लिया। उसकी मदद से ही मैंने वह मुश्किल वक्त गुजारा।

Case 7 —उभर रहा है मेन्स राइट्स मूवमेंट

भारत में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये तमाम कानून काफी सख्त भी हैं। महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम सामाजिक संगठन भी आगे रहते हैं। लेकिन महिला अधिकारों की लड़ाई के बीच देश में 'मेन्स राइट्स मूवमेंट' भी उभर रहा है। जहां पहले

पुरुष अधिकारों की बात कहीं होती नहीं दिखती थी, वहीं अब कई शहरों में हर हफ्ते मेन्स राइट्स ऐक्टिविस्ट मीटिंग भी करने लगे हैं। कई बार वे सड़कों पर उतरकर अपने हकों की बात भी करते हैं। मेन्स ऐक्टिविस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी पुरुषों के साथ कानून बराबरी का बर्ताव नहीं कर रहा। ऐसे में दूसरे देशों में भी लोग अब पुरुषों के हकों की लड़ाई लड़ने लगे हैं। इन संगठनों का कहना है कि हमें ऐंटी-मेल सोच से दिक्कत है। इसलिए हम पुरुषों को जागरूक कर रहे हैं कि उन्हें अपने हक की आवाज उठानी होगी। इनके मुताबिक, हमारे देश के कानून सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। महिलाओं के मुकाबले तीन गुना ज्यादा शादीशुदा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। इससे उनके डिस्ट्रेस लेवल का पता चलता है। इन संगठनों का हेल्पलाइन नंबर भी है जिन पर पत्नियों से पीड़ित पतियों के फोन आते हैं।

पहले स्थानीय स्तर पर पुरुष अधिकारों की बात करने वाले छोटे-छोटे संगठन थे, लेकिन करीब 10 साल पहले बड़े स्तर पर भारत में मेन्स राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई। तब सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन (Save Indian Family Foundation) नाम से अंब्रेला संगठन बना और फिर इस संगठन के अलग-अलग राज्यों, अलग-अलग शहरों में चैप्टर बनाए गए। यह रजिस्टर्ड संगठन है और पुरुषों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात करता है। दिलचस्प यह है कि इस संगठन को बनाने का विचार भी जेल में ही 498ए (दहेज प्रताड़ना) के आरोप में बंद लोगों को आपस में बातचीत करके आया। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के संस्थापक राजेश वखारिया कहते हैं कि जब 498ए केस के शिकार हम कुछ लोगों ने मेन्स हेल्पलाइन नंबर सर्च किया तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तब पुरुषों के अधिकारों का संगठन बनाने की शुरुआत हुई।वह बताते हैं, 'हमने 2006 में कर्नाटक, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता में प्रदर्शन किए थे। तब हम महज 60-70 लोग ही थे, लेकिन प्रदर्शनों का असर हुआ। लोगों की सोच बदलने लगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए को लीगल टेररिजम जैसा बताया। 2008 में हमने पहली नैशनल कॉन्फ्रेंस की तब तक हमारे 32 शहरों में संगठन हो गए थे। अब करीब 90 शहरों में हमारे चैप्टर हैं। हम 2011 में इंटरनैशनल फोरम 'वॉइस ऑफ मैन' से जुड़े।'

Case 8 —कोर्ट के फैसलों ने दिखाया है आईना

देश की अदालतें महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग पर समय-समय पर चिंता जताती रही हैं। दहेज हत्या व प्रताड़ना के एक मामले में ससुराल वालों को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा था कि हाल के दिनों में ये प्रवृत्ति हो गई है कि दहेज के मामले में ससुराल के तमाम रिश्तेदारों को आरोपी बना दिया जाता है।

मोहम्मद असलम, मोहम्मद आरिफ

Case 9 —अतुल सुभाष सुसाइड केस

बेंगलुरू में काम कर रहे 34 साल के AI इंजीनियर इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली (Atul Subhash Suicide Case). अतुल ने खुद पर दहेज त्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं.

अतुल सुभाष ने खुदकुशी से 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा. 81 मिनट का वीडियो भी बनाया है. इनमें उन्होंने अपनी पूरी व्यथा कथा कह डाली है. उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, "मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा. और मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और न ही मेरे माता-पिता, भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी." अतुल को लगता है कि उनको या उनके जैसे लोगों को न्याय मिलेगा? 30 लाख की मांग, संपत्ति में हिस्सा और झूठे मुकदमें... पत्नी से तंग आकर पति ने लगाई फांसी, मां ने दर्ज कराई मृतक की मां ने बेटे की पत्नी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जिसके बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि उस शख्स की मौत उत्पीड़न के कारण हुई है या दंपति के बीच पारिवारिक विवाद के कारण तेलंगाना के हैदराबाद शहर में 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली. उस शख्स की लाश उसके घर से बरामद की गई. पुलिस पुलिस ने एक तहरीर के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

बहू किसी और के साथ रहना चाहती थी...' मानव शर्मा सुसाइड केस में पिता का छलका दर्द, बोले- फंसाने की दी थी धमकी!

आगरा में मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा (Manav Sharma) की आत्महत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मृतक के पिता का कहना है कि बहू किसी अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी. परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि बहू आए दिन झगड़ा भी करती थी आगरा में टीसीएस के मैनेजर मानव शर्मा (Manav Sharma) के सुसाइड केस नए खुलासे हो रहे हैं. परिवार का आरोप है कि मानव को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. बता दें कि सुसाइड से पहले मानव ने एक वीडियो बनाया, जिसमें कई बातें कहीं. मानव के पिता एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि बहू किसी और साथ रहना चाहती थी, वह परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे चुकी थी.

Case 10 —कर्नाटक में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने आत्महत्या कर दी। मरने से पहले उसने आखिरी नोट में लिखा है- पापा मुझे माफ करना, वो मुझे मार रही है...

पीटर के भाई जोयल ने कहा, 'कल रविवार को सभी लोग चर्च गए थे. दोपहर 12:30 बजे जब हम वापस आए तो मेरी मौसी ने देखा कि मेरे भाई ने फांसी लगा ली है. उसने एक डेथ नोट लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी पत्नी फीभे, जिसका निकनेम पिंकी है चाहती थी कि वह मर जाए. उसने लिखा कि वह अपनी पत्नी की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर रहा है. उसने यह भी लिखा कि डैडी आई एम सॉरी और अन्ना (भाई) प्लीज पैरेंट्स का ख्याल रखना. कर्नाटक के हुबली शहर में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक पति ने सुसाइड कर ली पीटर नाम का यह शख्स अपने पीछे छोड़ गया है एक सुसाइड नोट, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं जानकारी के मुताबिक, मृतक ने माता-पिता से ताबूत पर 'पत्नी की प्रताड़ना' को 'मौत की वजह' के रूप में लिखवाने के लिए कहा था पीटर के परिवार ने उसके और उसकी पत्नी के बीच रिश्तों की पूरी कहानी बताई है और बताया कि किस तरह पीटर की पत्नी उसे टॉर्चर करती थी. इस केस ने कुछ महीने पहले बेंगलुरु के अतुल सुभाष केस की यादें ताजा कर दी हैं.

Case 11— मेरठ पुलिस ने बताया है कि 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉय फ्रैंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर तीन मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की रात को हत्या कर दी थी.

पुलिस ने एक प्रेसवार्ता कर बताया कि शव को एक ड्रम में डालकर कंक्रीट भर दिया गया था. पुलिस उस ड्रम को कब्ज़े में लेकर थाने ले आई और फिर कटर से ड्रम काटकर शव को बाहर निकाला गया.

सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल उर्फ़ बब्लू की तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है. दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को ही हिरासत में ले लिया गया था.

एएसपी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बुधवार को इस हत्याकांड के बारे में मीडिया को बताया, "सौरभ राजपूत को चार मार्च से देखा नहीं गया था. शक के आधार पर पत्नी मुस्कान और उनके प्रेमी साहिल शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था."

"पूछताछ में पता चला कि साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव का सिर, दोनों हाथों की हथेलियां काट कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट और रेत के घोल से भर दिया था. इसके बाद दोनों अभियुक्त घूमने के लिए शिमला, मनाली और कसौली चले गए."

मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाक़े के रहने वाले सौरभ राजपूत ने साल 2016 में घर से थोड़ी दूर ही रहने वाली मुस्कान रस्तोगी के साथ प्रेम विवाह किया था.

दोनों की शादी परिवार के विरोध के बावजूद हुई थी. साल 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया.

पुलिस के मुताबिक़, आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से सौरभ की अपने माता पिता से भी अनबन हो गई थी, जिसके बाद वह मुस्कान के साथ पड़ोस के इंदिरा नगर में रहने लगे.

सौरभ की ग़ैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच करीबी बढ़ी.

एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, "27 साल के साहिल, सौरभ के घर से थोड़ा फासले पर ही रहते थे. वह और मुस्कान कक्षा आठ में सहपाठी भी रह चुके थे. साहिल ने बीकॉम तक पढ़ाई की है और ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार से जुड़े हुए थे."

उनके मुताबिक़, जब सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के बीच संबंध की बात पता चली तो उन्होंने साल 2021 में तलाक़ के लिए क़ानूनी रास्ता अख़्तियार किया, लेकिन एक छोटी बच्ची होने के चलते घरवालों के समझाने के बाद शिकायत वापस ले ली.

3-4 मार्च को क्या हुआ

पुलिस ने कहा है कि पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

मुस्कान ने पुलिस को बताया कि दो साल पहले सौरभ लंदन में काम करने के लिए चले गए थे. इस दौरान मुस्कान और साहिल के बीच दोस्ती और बढ़ गई.

मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और उसे रिन्यू कराने के लिए वह 24 फ़रवरी को भारत आ रहे थे.

पुलिस के मुताबिक़, हत्या के लिए मुस्कान और साहिल ने पहले ही पूरी योजना बना ली थी और चाकू और बेहोशी की दवाएं खरीद ली थीं.

हत्या के दिन यानी तीन मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवाइयां मिला दीं. और जब वह बेहोश हो गए तो साहिल ने सौरभ का हाथ पकड़ा और मुस्कान ने चाकू से कई वार किए.

पुलिस के अनुसार दोनों ने शव को बाथरूम में ले जाकर तीन टुकड़े कर दिए और सबूत मिटाने के लिए कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया गया था.

चार मार्च को मुस्कान ने बाज़ार से ड्रम और सीमेंट ख़रीदा और फिर सारे अंगों को उसमें सीमेंट के साथ भर दिया गया

कैसे खुला राज़

पुलिस के अनुसार, शव छिपाने के बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ा और वो साहिल के साथ घूमने चली गई.

पुलिस का कहना है कि शादी के बाद से ही सौरभ को उसके परिजनों ने बेदख़ल कर दिया था और उससे बहुत संपर्क नहीं रखा था. इसीलिए **यह बात कई दिनों तक पता नहीं चल सकी.**

17 मार्च को जब मुस्कान लौटी तो उसकी छह वर्षीय बेटी ने पिता सौरभ के बारे में पूछा. इस पर मुस्कान भावुक हो गई. वह अपने मायके पहुंची और सौरभ की हत्या का इल्ज़ाम अपने ससुराल पक्ष पर लगाने लगी, हालांकि मुस्कान के परिजनों को भरोसा नहीं हुआ तो वे उसे ख़ुद थाने ले गए.

पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिसके बाद ड्रम बरामद किया गया.

Case 12— भारत के युवाओं शादी न करो...', मरने से पहले छोड़ गया था सुसाइड नोट, पत्नी और रिश्तेदारों पर उकसाने का केस दर्ज

नितिन ने सुसाइड नोट में लिखा था, "मैं नितिन पडियार, भारत सरकार से दहेज कानून बदलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं. यदि आप इसे नहीं बदलते हैं, तो हर दिन कई और पुरुष और उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे. मैं भारत के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे शादी न करें खुदकुशी करने वाले फोटोग्राफर की पत्नी और उसके तीन रिश्तेदारों पर मध्य प्रदेश के इंदौर में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. 28 साल के नितिन पडियार ने 20 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी. उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने सरकार से दहेज कानून में बदलाव करने का गुहार लगाई थी , ताकि महिलाओं को इसका 'दुरुपयोग' करने से रोका जा सके. बाणगंगा पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर सियाराम गुर्जर ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, मृतक नितिन की पत्नी और ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों (सास और सालियों) के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. गुर्जर ने बताया, पत्नी ने पति के खिलाफ राजस्थान में दहेज का मामला दर्ज कराया था, जहां से उसके माता-पिता आते हैं. वे इस मामले को वापस लेने के लिए पडियार से पैसे मांग रहे थे. मरने से पहले नितिन पडियार ने नोट में लिखा था, "मैं, नितिन पडियार, भारत सरकार से कानून बदलने का अनुरोध करता हूं क्योंकि महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं. यदि आप इसे नहीं बदलते हैं, तो हर दिन कई और पुरुष और उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे. मैं भारत के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वे शादी न करें और यदि वे करते हैं, तो उन्हें शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मेरी मौत के बाद मेरे लिए न्याय की मांग करें या अपनी बारी का इंतजार करें.

Case 11— गाजियाबाद आत्महत्या प्रकरण: मोहित त्यागी मामला (उत्तर प्रदेश)

यह प्रकरण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर क्षेत्र में रहने वाले 34 वर्षीय युवक मोहित त्यागी से संबंधित है, जो एक निजी संस्था में कार्यरत थे। अप्रैल 2025 में उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके दो दिन पश्चात उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने एक पत्र छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी तथा उसके परिजनों पर मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगाया।

मोहित त्यागी का विवाह दिसंबर 2020 में संभल जनपद की निवासी प्रियांका त्यागी से हुआ था। यह उनका दूसरा विवाह था। वर्ष 2021 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। परिजनों के अनुसार, विवाह के कुछ ही महीनों के भीतर पति-पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगा। आरोप लगाया गया कि पत्नी द्वारा निरंतर मौखिक अपमान, झूठे कानूनी मामलों की धमकी तथा मानसिक दबाव बनाया जा रहा था।

मृतक द्वारा छोड़े गए पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उसकी पत्नी और उसके परिजन विवाह के प्रारंभ से ही धन प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाने की योजना बना रहे थे, जिनमें दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप भी सम्मिलित थे। मोहित ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी माता के निधन के कुछ माह पश्चात उसकी पत्नी अपने भाई के साथ घर से लगभग बारह से पंद्रह लाख रुपये मूल्य के आभूषण और नकद धन लेकर चली गई तथा परिवार को बदनाम करने की धमकी दी।

मोहित त्यागी के अनुसार, अप्रैल 2025 में उसे पुलिस थाने से सूचना मिली कि उसकी पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी घटना के पश्चात उसने अपने परिचितों को संदेश भेजकर आत्महत्या करने की मंशा प्रकट की और स्वयं को विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

आत्महत्या पत्र में मोहित ने यह भी उल्लेख किया कि उसकी पत्नी द्वारा गर्भावस्था के दौरान बार-बार गर्भपात का प्रयास किया गया तथा संतान के पालन-पोषण में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। उसने अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उसे अपने माता-पिता के संरक्षण में दिए जाने की प्रार्थना की। पत्र के अंत में उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वैवाहिक विवादों में कानूनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की अपील की।

इस प्रकरण के पश्चात मृतक के परिजनों की शिकायत पर पत्नी तथा उसके परिजनों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज **किया गया और पुलिस द्वारा जाँच प्रारंभ की गई।**

एकीकृत विश्लेषणात्मक अनुच्छेद : सिद्धांत, न्यायिक निर्णय एवं सुरक्षा उपाय

महिला संरक्षण कानूनों का मूल उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है, जो लैंगिक न्याय और संवैधानिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। तथापि, सिद्धांत और व्यवहार के बीच बढ़ता अंतर यह दर्शाता है कि इन कानूनों का कुछ मामलों में दुरुपयोग भी हुआ है। **निशा शर्मा दहेज प्रकरण** जैसे मामलों में न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया कि जब आरोप ठोस साक्ष्यों से समर्थित न हों और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हों, तो अभियोजन टिक नहीं सकता और आरोपी को बरी किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, **कलकत्ता उच्च न्यायालय (CRA 14 of 2004)** तथा **दिल्ली की अदालत के हालिया निर्णय** यह

रेखांकित करते हैं कि केवल सामान्य, अस्पष्ट और अतिरंजित आरोपों के आधार पर धारा 498A जैसे गंभीर आपराधिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायसंगत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया है कि महिला संरक्षण कानूनों का प्रयोग वैवाहिक विवादों में दबाव या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, यद्यपि विधायी सुधार का कार्य विधायिका का क्षेत्राधिकार है। दूसरी ओर, **सोमदत्त, अरविंद कुमार** और **चेतन कनू** जैसे अनुभवजन्य प्रकरण यह उजागर करते हैं कि दोषमुक्ति के बाद भी अभियुक्त को हुए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई संभव नहीं होती, और कुछ मामलों में यह स्थिति आत्महत्या जैसे चरम परिणामों तक पहुँच जाती है। अतः यह आवश्यक है कि महिला अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनों के अनुप्रयोग में **प्रारंभिक जाँच, न्यायिक विवेक, साक्ष्य-आधारित अभियोजन और झूठे मामलों में उत्तरदायित्व** जैसे सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया जाए, ताकि विधि का उद्देश्य संरक्षण बना रहे और वह उत्पीड़न का साधन न बने।

VI. सुझाव एवं अनुशंसाएँ

1. **प्रारंभिक जाँच को अनिवार्य किया जाना**

   महिला संरक्षण कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज होने के पश्चात, विशेषकर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे मामलों में, **तत्काल गिरफ्तारी के बजाय प्रारंभिक तथ्यान्वेषण (preliminary inquiry)** को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे प्रथम दृष्टया झूठे या दुर्भावनापूर्ण मामलों की पहचान संभव होगी और निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा।

2. **न्यायिक विवेक और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण**

   न्यायालयों को आरोपों की गंभीरता के अनुरूप **साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता** पर विशेष बल देना चाहिए। केवल सामान्य, अस्पष्ट या अतिरंजित आरोपों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ न की जाए, जिससे न्यायिक संतुलन बना रहे।

3. **झूठी शिकायतों में उत्तरदायित्व तय करना**

   यदि न्यायालय यह पाता है कि शिकायत जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या झूठी थी, तो ऐसे मामलों में **उचित दंडात्मक या प्रतिकरात्मक उपाय** अपनाए जाने चाहिए। यह कदम कानून के दुरुपयोग को हतोत्साहित करेगा और विधिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखेगा।

4. **काउंसलिंग और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा**

   वैवाहिक विवादों में आपराधिक कानून का सहारा लेने से पहले **काउंसलिंग, मध्यस्थता और सुलह प्रक्रिया** को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे पारिवारिक विवादों का समाधान प्रारंभिक स्तर पर संभव होगा और अनावश्यक आपराधिक मुकदमों में कमी आएगी।

5. **कानूनी जागरूकता और संतुलित प्रशिक्षण**

   पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को महिला संरक्षण कानूनों के **उद्देश्य, सीमाएँ और संभावित दुरुपयोग** के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही समाज में भी यह जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि कानून का प्रयोग सुरक्षा के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं।

6. **परिवार के निर्दोष सदस्यों की सुरक्षा**

   शिकायतों में पति के साथ-साथ बुज़ुर्ग माता-पिता और दूर के रिश्तेदारों को आरोपी बनाए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए **विशेष सतर्कता** बरती जानी चाहिए। केवल प्रत्यक्ष भूमिका और ठोस साक्ष्य होने पर ही ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जाए।

7. **डेटा संग्रह और नीति-निर्माण**

   महिला संरक्षण कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामलों के **निस्तारण, दोषसिद्धि, बरी और झूठे मामलों** से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन किया जाना चाहिए। यह डेटा भविष्य में **नीति-निर्माण और विधिक सुधारों** के लिए आधार प्रदान करेगा।

VII. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि महिला अधिकार और महिला संरक्षण कानून भारतीय विधिक व्यवस्था का एक अनिवार्य और प्रगतिशील अंग हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समानता, गरिमा और सुरक्षा प्रदान करना है। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और लैंगिक शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए इन कानूनों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इन प्रावधानों ने अनेक मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तथापि, शोध में विश्लेषित न्यायिक निर्णयों और अनुभवजन्य प्रकरणों से यह भी सामने आता है कि कुछ परिस्थितियों में इन कानूनों का दुरुपयोग हुआ है। झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, तथा कुछ मामलों में इसके परिणाम अत्यंत गंभीर और अपूरणीय रहे हैं। दोषमुक्ति के बाद भी हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं होती, जिससे न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।

न्यायालयों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि महिला संरक्षण कानूनों का प्रयोग न्याय के साधन के रूप में होना चाहिए, न कि उत्पीड़न या प्रतिशोध के उपकरण के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों की टिप्पणियाँ यह दर्शाती हैं कि **साक्ष्य-आधारित अभियोजन, न्यायिक विवेक और संतुलित दृष्टिकोण** इस समस्या के समाधान के लिए अनिवार्य हैं।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाधान महिला अधिकारों को कमजोर करने में नहीं, बल्कि कानूनों के **निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और उत्तरदायी अनुप्रयोग** में निहित है। जब वास्तविक पीड़ित महिलाओं को प्रभावी संरक्षण प्राप्त हो और साथ ही निर्दोष व्यक्तियों को कानूनी दुरुपयोग से बचाया जाए, तभी सच्चे अर्थों में **लैंगिक न्याय, सामाजिक संतुलन और विधि शासन** की स्थापना संभव होगी।

संदर्भ सूची

[1] Indore Man Suicide over Alleged Misuse of Dowry Law — नितिन पडियार ने आत्महत्या से पहले नोट छोड़ा जिसमें दहेज कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया तथा इसके सुधार की गुहार लगाई गई; इसके पश्चात पत्नी व सास-बहनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ। Link: https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/indore-man-ends-life-leaves-note-seeking-changes-in-dowry-act-wife-and-her-kin-booked-for-abetment-lcln-dskc-2155427-2025-01-30

[2] Another Suicide Allegedly due to Spousal Harassment in Karnataka — बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी और उसके शव के ताबूत पर परिवार ने "पत्नी की प्रताड़ना" को मौत का कारण लिखा; यह अतुल सुभाष केस जैसे मामलों की याद दिलाता है। Link: https://www.aajtak.in/india/news/story/another-case-like-atul-subhash-in-karnataka-family-wrote-the-reason-for-suicide-on-the-coffin-died-due-to-torture-by-wife-ntc-rptc-2152687-2025-01-27

[3] Mohit Tyagi Suicide Case (Ghaziabad) — एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर दी और सुसाइड नोट में बताया कि उसके अनुसार उसकी पत्नी व ससुराल के लोग उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे; पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। Link: https://ndtv.com/india-news/mohit-tyagi-priyanka-tyagi-ghaziabad-they-may-kill-my-child-up-man-dies-by-suicide-blames-wife-and-in-laws-8203637

[4] Atul Subhash Suicide Case (Bengaluru) — बेंगलुरु के तकनीकी पेशेवर अतुल सुभाष ने कथित घरेलू व वित्तीय प्रताड़ना के आरोप में आत्महत्या की; उन्होंने सुसाइड नोट व वीडियो छोड़कर कहा कि कई मामलों से उसे मानसिक तनाव पहुंचा। Link (general reporting source): https://aajtak.in/topic/atul-subhash-suicide-case (या उपर NDA/NDTV संस्करण)

[5] India Today International Coverage: Nitin Padiyar Suicide & Dowry Law Misuse — Nitin पडियार मामले का अंग्रेज़ी संस्करण जिसमें बताया गया कि उन्होंने सरकार से दहेज कानून बदलने का अनुरोध किया और पत्नी व ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। Link: https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/indore-man-ends-life-leaves-note-seeking-changes-in-dowry-act-wife-and-her-kin-booked-for-abetment-lcln-dskc-2155427-2025-01-30

[6] Aaj Tak. (2025, January 30). 'भारत के युवाओं शादी न करो...' इंदौर में आत्महत्या से पहले छोड़ा नोट, दहेज कानून में बदलाव की मांग. https://www.aajtak.in/madhya-pradesh/story/indore-man-ends-life-leaves-note-seeking-changes-in-dowry-act-wife-and-her-kin-booked-for-abetment-lcln-dskc-2155427-2025-01-30

[7] Aaj Tak. (2025, January 27). 'मेरी मौत पत्नी के टॉर्चर से हुई', परिवार ने कॉफिन पर लिखवाई सुसाइड की वजह.... https://www.aajtak.in/india/news/story/another-case-like-atul-subhash-in-karnataka-

family-wrote-the-reason-for-suicide-on-the-coffin-died-due-to-torture-by-wife-ntc-rptc-2152687-2025-01-27

[8] NDTV. (2024, December 11). “Torture is Also a Kind of Murder”: Parents of Bengaluru Techie After His Suicide. https://ndtv.com/india-news/atul-subhash-nikita-singhania-suicide-torture-is-also-a-kind-of-murder-parents-of-bengaluru-techie-after-his-suicide-7226107

[9] India Today. (2025, January 31). Man ends life, leaves note seeking changes in dowry act; wife booked for abetment. https://www.indiatoday.in/india/story/man-ends-life-leaves-note-seeking-changes-dowry-act-wife-booked-abetment-2672672-2025-01-31

[10] Aaj Tak Topic Page. (2025). Atul Subhash Suicide Case. https://aajtak.in/topic/atul-subhash-suicide-case